अध्याय 1 परिचय

1.1 पृष्ठभूमि

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की (पीए) को कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 (धारा 73 के तहत) में प्रस्तुत किया गया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (बोर्ड) के सितंबर 1975[1] के परिपत्र के अनुसार, धारा 281बी का उद्देश्य कर बकाया को कम करना और यह सुनिश्चित करना था कि भविष्य में कर बकाया संग्रहित न हो। इसका उद्देश्य उस मामले में किसी भी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान लागू करने का था, जहां निर्धारण अधिकारी (एओ)[2] की राय हो कि निर्धारिती निर्दिष्ट परिस्थितियों में मांग के अंतिम संग्रहण को अवरुद्ध कर सकता है, ताकि निर्धारण पूरा होने से पहले निर्धारिती की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क करके राजस्व के हितों की रक्षा की जा सके। यह अधिनियम की धारा[3] 222/226 के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी द्वारा निर्धारण के बाद के चरण में लागू नियमित कुर्की के विपरीत है।

निर्धारिती की संपत्ति की अनंतिम कुर्की आयकर प्राधिकारियों को निर्धारिती को कर भुगतान से बचने के उद्देश्य से अपनी परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने या निपटाने का प्रयास करने से रोकने में सक्षम बनाती है। विभाग द्वारा इन परिसंपत्तियों को निर्धारण के बाद, यदि आवश्यक हो, नियमित कुर्की में परिवर्तित करके इनका निपटान किया जा सकता है और इसकी प्राप्तियों का उपयोग कर की वसूली के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार,

---

[1] बोर्ड का दिनांक 30 सितंबर, 1975 का परिपत्र सं. 179/1975 - उसमें दिए गए "अधिनियम के उद्देश्य" में आयकर अधिनियम में इस धारा (281बी) को सम्मिलित करने के पीछे विधायी मंशा का वर्णन किया गया है।

[2] अधिनियम की धारा 2(7ए) के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी का अर्थ है सहायक / उप-आयकर आयुक्त या आयकर अधिकारी जो धारा 120 की उप-धारा (1) या (2) या अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत जारी निर्देशों या आदेशों के आधार पर प्रासंगिक अधिकार क्षेत्र में निहित है।

[3] जब किसी निर्धारिती से भुगतान करने में चूक होती है या यह माना जाता है कि उससे चूक हुई है, तो कर वसूली अधिकारी ऐसे निर्धारिती से नीचे उल्लिखित एक या अधिक तरीकों से निर्दिष्ट राशि वसूल करेगा-
(क) निर्धारिती की चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री;
(ख) निर्धारिती की अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री;

निर्धारिती का मामला नियमित कुर्की के चरण तक पहुंचने से पहले अनंतिम कुर्की एक महत्वपूर्ण एहतियाती अग्रगामी के रूप में कार्य करती है।

जैसा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय (**परिशिष्ट 3** का क्र. सं. 4) में बताया गया है, धारा 281बी प्रबल शक्तियां प्रदान करती है, और ये निर्णय के पहले कुर्की की प्रकृति में हैं। इसलिए, ऐसी शक्तियों का उपयोग अवश्य ही उचित कारणों से उचित मामलों में किया जाना चाहिए।

अधिनियम के प्रावधान धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए निश्चित कदम निर्धारित करते हैं, जैसे अनंतिम कुर्की की आवश्यकता के लिए राय बनाना, निर्धारित प्राधिकारी[4] से पूर्व अनुमोदन के साथ उस पर आदेश जारी करना, अनंतिम कुर्की आरंभ करने/बढ़ाने के लिए समय सीमा, अनंतिम रूप से कुर्क संपत्ति के बदले निर्धारिती से बैंक गारंटी (बीजी) प्राप्त करना, कुर्क की गई संपत्ति के उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी को संदर्भ देना, कर भुगतान में चूक के लिए बीजी का उपयोग करना, अनंतिम कुर्की को रद्द करना आदि। अधिनियम में यह भी निर्धारित किया गया है कि कुर्की का तरीका अधिनियम की दूसरी अनुसूची में प्रदान किया गया है।

संपूर्ण अनंतिम कुर्की प्रक्रिया को संक्षिप्त करने वाला एक प्रवाह चार्ट नीचे दिया गया है:

[4] प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (प्र. सीसीआईटी), मुख्य आयकर आयुक्त (सीसीआईटी), प्रधान आयकर आयुक्त (प्र. सीआईटी), आयकर आयुक्त (सीआईटी), प्रधान महानिदेशक आयकर (प्र. डीजीआईटी) या प्रधान निदेशक (प्र. डीआईटी), निदेशक (डीआईटी)।

चार्ट 1 - अनंतिम कुर्की के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया

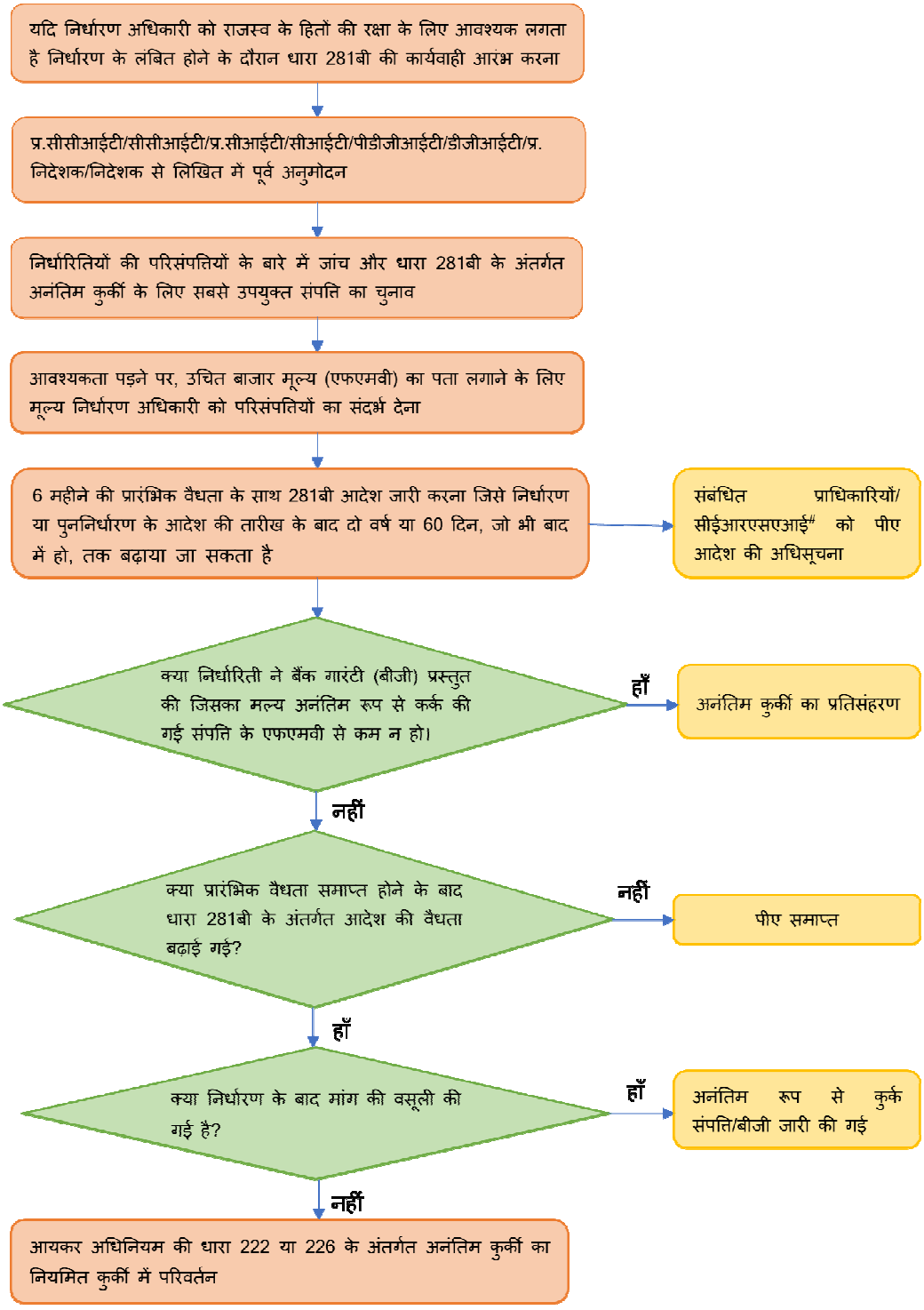

 # भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री

अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का सार **परिशिष्ट 1** में दर्शाया गया है। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी को निष्पक्ष, उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी तरीके से इन प्रावधानों को लागू करने में सक्षम बनाने के लिए, बोर्ड द्वारा कई

परिपत्र/अनुदेश जारी किए गए हैं, जैसा कि **परिशिष्ट 2** में दर्शाया गया है। इन परिपत्रों/अनुदेशों के माध्यम से बोर्ड ने 281बी प्रावधानों की मंशा और कार्यप्रणाली पर स्पष्टीकरण जारी किया है। इन प्रावधानों/परिपत्रों को कई न्यायिक निर्णयों द्वारा भी समर्थित किया गया है जिन्हें **परिशिष्ट 3** में संक्षिप्त में प्रस्तुत किया गया है।

1.2 हमने यह विषय क्यों चुना

वि.व. 2013-14 से वि.व. 2017-18 की अवधि के दौरान लंबित कर मांग[5] के बकाया की प्रवृत्ति नीचे तालिका संख्या 01 में दर्शाई गई है:

तालिका सं. 01: कर मांग बकाया और वसूली करने में मुश्किल मांग का विवरण दर्शाने वाला ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	पिछले वर्ष की मांग का बकाया	चालू वर्ष की मांग का बकाया	मांग का कुल बकाया	आयकर विभाग द्वारा वर्गीकृत वसूली करने में मुश्किल मांग	कुल बकाया पर *प्रतिशत*	मांग के बकाए में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	
						राशि	*प्रतिशत*
2013-14	4,80,066	95,274	5,75,340	5,52,538	96.04	--	--
2014-15	5,68,724	1,31,424	7,00,148	6,73,032	96.13	1,24,808	21.69
2015-16	6,67,855	1,56,356	8,24,211	8,02,256	97.34	1,24,063	17.72
2016-17	7,33,229	3,11,459	10,44,688	10,29,725	98.57	2,20,477	26.75
2017-18	7,36,975	3,77,207	11,14,182	10,94,023	98.19	69,494	6.65

स्रोत: आयकर निदेशालय (संगठन एवं प्रबंधन सेवाएँ)

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, पिछले कई वर्षों के दौरान कर मांग के बकाया के संचय में लगातार वृद्धि (वित्त वर्ष 2013-14 में ₹ 5,75,340 करोड़ से वित्त वर्ष 2017-18 में ₹ 11,14,182 करोड़) हुई है।

इसके अलावा, कुल बकाया कर मांगों की तुलना में 'वसूली में मुश्किल' (विभाग द्वारा वर्गीकृत) के रूप में वर्णित कर मांग का *प्रतिशत* वित्त वर्ष 2013-14 में 96 *प्रतिशत* से वित्त वर्ष 2017-18 में 98.2 *प्रतिशत* तक असामान्य रूप से उच्च बना रहा।

[5] स्त्रोत: सीएजी का 2019 का प्रतिवेदन सं. 09 (संघ सरकार - राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर)- अध्याय 1- प्रत्यक्ष कर प्रशासन- पैरा 1.8- मांग का बकाया

अधिनियम की धारा 281बी निर्धारण अधिकारी को संपत्ति की अनंतिम कुर्की को एक साधन/निवारण के रूप में उपयोग करने का अधिकार देती है ताकि निर्धारण/पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप उठाए गए कर भुगतान में चूक की संभावना को पहले ही रोका जा सके, इस विषय को 'मांग की वसूली मुश्किल' की श्रेणी के तहत जोड़ने से बचने के लिए भविष्य में उठाई जाने वाली मांग की वसूली को सुगम बनाने के लिए धारा 281बी के प्रावधानों को लागू करने सहित प्रक्रियाओं की सुदृढ़ता और प्रभावशीलता का निर्धारण करने के लिए चुना गया था।